तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.02.25	पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27.02.25 को पेश हो।	
27.02.25	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन करने के उपरान्त प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर पत्रावली बाद पूर्ति संलग्न मूल बाद रहे।	

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (बूंदी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या 74/2024

दायरा दिनांक 23.07.2024

पीठासीन अधिकारी
श्रीमती भावना सिंह(RAS)

बउनवान

1. आशा पुत्री सत्यपाल जाति गुसांई निवासी अनघोरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
2. भंवर पुत्र सत्यपाल जाति गुसांई निवासी अनघोरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
3. राजेन्द्र पुत्र सत्यपाल जाति गुसांई निवासी अनघोरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
4. सुरेश पुत्र सत्यपाल जाति गुसांई निवासी अनघोरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
5. कान्ति पत्नी स्व0 सत्यपाल जाति गुसांई निवासी अनघोरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
6. ओमप्रकाश पुत्र प्रहलाद जाति गुसांई निवासी अनघोरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
7. प्रेमशंकर पुत्र प्रहलाद जाति गुसांई निवासी अनघोरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
8. सतीश पुत्र प्रहलाद जाति गुसांई निवासी अनघोरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।

– प्रार्थिगण

बनाम

1. दीनदयाल पुत्र प्रहलाद जाति गुंसाई निवासी मेवाती मोहल्ला मदिना मस्जिद के पास इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
2. उप पंजीयक महोदय इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
3. राजस्थान राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

–अप्रार्थिगण

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आ0टी0एक्ट0

1. श्री बालकिशन रायका(अधिवक्ता प्रार्थिगण)
2. श्री महेन्द्र रेबारी(अधिवक्ता अप्रार्थी सं 1)
3. अप्रार्थी सं 1 लगायत 3 अनुपस्थित

दिनांकः–27.02.2025

निर्णय

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थिगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खाता संख्या नयी 105, पुरानी 102 के खसरा संख्या 878 रकबा 0.56है0, खसरा संख्या 879 रकबा 0.37है0, खसरा संख्या 880

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

रकबा 0.41है0, खसरा संख्या 881 रकबा 0.08है0, खसरा संख्या 883 रकबा 0.18है0, खसरा संख्या 888 रकबा 0.24है0, खसरा संख्या 889 रकबा 0.11है0, खसरा संख्या 890 रकबा 0.51है0, खसरा संख्या 891 रकबा 0.12है0, खसरा संख्या 892 रकबा 0.24है0, खसरा संख्या 893 रकबा 0.32है0 कुल किता 11 कुल रकबा 3.14है0 वाके ग्राम अनघोरा पटवार सुमेरगंजमण्डी भु0अभिलेख निरीक्षक सुमेरगजमंडी तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित है जिसके राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिगण 1 लगायत 8 व प्रतिपक्षी संख्या 1 दीनदयाल के नाम सहखातेदारी में अंकित चली आ रही है जिसकी जमाबंदी संलग्न है। उक्त आराजी पूर्व में प्रहलाद पुत्र किशनगिरी जाति गुँसाई निवासी अनघोरा के नाम खातेदारी में अंकित चली आ रही थी जिनकी मृत्यु के वाद प्रतिपक्षी संख्या 1 दीनदयाल का नाम भी सहखातेदार में प्रार्थिगण के साथ अंकित कर दिया गया है वास्तविकता में राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने प्रार्थिगण को बिना सूचना व सुनवाई का अवसर दिए ही प्रार्थिगण के साथ प्रतिपक्षी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिया है जो गैर कानूनी व अनुचित एवं असंवैधानिक शून्य इन्द्राज है। मृतक प्रहलाद पुत्र किशनगिरी ने अपने जीवनकाल में दिनांक 16.11.1998 को रूबरू गवाहन एक लिखित में पारिवारिक बंटवारा निष्पादित कर प्रतिपक्षी सं 1 दीनदयाल को ग्राम आडागेला उर्फ हरिनगर तहसील पिपल्दा जिला कोटा की कृषि भूमि खसरा संख्या 464 रकबा 1.27है0 नहरी प्रथम दी गई थी जिसका उल्लेख हाल इकरारनामा दिनांक 10.05.2022 में रूबरू गवाहन नोटरी पब्लिक में अपना हक अधिकार की कृषि भूमि में चारों भाईयों जिनमें सत्यपाल, प्रेमशंकर, ओमप्रकाश, सतीश को ग्राम अनघोरा की सम्पति पारिवारिक बंटवारा में दी गई थी उक्त सम्पति का उपयोग एवं उपभोग प्रार्थिगण मुताबिक पारिवारिक बंटवारा करते चले आ रहे है इसलिए उक्त कृषि भूमि के तन्हा खातेदार कृषक बन चुके है और प्रतिपक्षी संख्या 1 आडागेला उर्फ हरिनगर की सम्पति में हक व अधिकार कानूनी रूप से बतौर पारिवारिक बंटवारा रहा था, उस कृषि भूमि में प्रार्थिगण ने अपना हक व अधिकार छोड दिया था। बतौर पारिवारिक बंटवारा दिनांक 16.11.1998 को दोनो पक्षों के मध्य किया गया था जिससे वे आज भी पाबंद है। मृतक प्रहलाद के लिगलहियर्स के रूप में प्रतिपक्षी संख्या 1 का नाम आ जाने का फायदा उठाकर उक्त कृषि भूमि को प्रतिपक्षी संख्या 1 रहन बय दान कर हस्तानान्तरित करने पर आमादा हो रहा है जिसका उसको कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिपक्षी संख्या 1 का वाद विषयक कृषिभूमि पर पारिवारिक बंटवारा के बाद से आज तक कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है कानूनन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 की सब क्लाज 2 व 4 के मुताबिक प्रतिपक्षी संख्या 1 का वाद विषयक

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

कृषि भूमि में अपना हक व अधिकार समाप्त हो चुके है एवं सम्पूर्ण कृषि भूमि पर बतौर पारिवारिका बंटवारा दिनांक 16.11.1998 को मुताबिक तन्हा खातेदार कृषक प्रार्थिगण बन चुके है इसलिए प्रतिपक्षी संख्या 1 का वाद विषयक कृषि भूमि से नाम विलोपित करवाने के कानूनी अधिकार प्रार्थिगण हो गये है। यदि दौराने वाद प्रतिपक्षी संख्या 1 अपने मनसुखे में कामयाब हो गया और वाद विषयक कृषि भमि को रहन बैचान खुर्द बुर्द कर दिया तो प्रार्थी को भारी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना सम्भव नहीं होगी। प्रार्थिगण का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित है सुविधा संतुलन का भार एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थिगण के पक्ष में प्रमाणित है। अन्त में प्रार्थिगण ने निवेदन किया कि अप्रार्थिगण अस्थाई निषेधाज्ञ को पाबंद किया जावे कि वाद विषयक कृषि भूमि को रहन, बेचान दान कर खुर्द बुर्द नहीं करें एवं वाद विषयक भूमि के किसी भाग पर अनावश्यक रूप से ताकत के बल कब्जा नहीं करे।

प्रार्थिगण को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जर्ये नोटिस अप्रार्थिगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी सं 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि वाद विषयक कृषि भूमि का 3/16 हिस्सा का सहखातेदार टीनेन्ट अप्रार्थी है एवं काबिज होकर काश्तकारी करता आ रहा है। प्रार्थिगण भी अपने हिस्से के अनुसार कब्जा काश्त है मौके पर कोई विवाद नहीं है। प्रार्थिगण व अप्रार्थी सहखातेदार टीनेन्ट है। यह भूमि पुश्तैनी है जो अप्रार्थी के बाप दादाओं की है। अप्रार्थी सं 1 के पिता प्रहलाद जी की मृत्यु के बाद फौती इन्तकाल संख्या 298 दिनांक 20.05.2000 को अपने पांचो पुत्रों का नाम तस्दीक हुआ है जो सही है। अप्रार्थी 3/16हिस्सा का सहखातेदार टीनेन्ट है और अपने हिस्से के अनुसार ही काबिज होकर काश्तकारी करता आ रहा है। जब फौती इन्तकाल खुला उस वक्त किसी भी भाई व बहिनों ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवायी है क्योंकि उक्त भूमि पुश्तैनी सम्पति है जिसमें सभी का हिस्सा व अधिकार होता है। प्रार्थिगणों द्वारा पारिवारिक सेटलमेंट का हवाला दे रखा है जो झूठा व फर्जी है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किसी भी प्रकार का कोई पारिवारिक समझौता नहीं किया गया है अगर किसी के द्वारा फर्जी व कूटरचित द्वारा बनाया गया हो तो जिसकी कानून में कोई वेल्यू नहीं है। कृषि भूमि 646 रकबा 1.27है0 वाके ग्राम ढीपरी चम्बल तहसील पीपल्दा जो अप्रार्थी सं 1 द्वारा काफी पैसा खर्च करके सही करवाई और उक्त भूमि खाता सरकार थी जिसको स्वयं अप्रार्थी सं 1 द्वारा दावा दायर करके खाता सरकार का नाम विलोपित करवाया और स्वयं खातेदार घोषित करवाया है। प्रार्थिगण व अप्रार्थी के मध्य आज दिनांक तक किसी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

प्रकार का परिवारिक सेटलमेंट नहीं हुआ है। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज किसी के पक्ष में नहीं लिखा गया है। प्रार्थना पत्र प्राथमिक दृष्ट्या ही खारिज योग्य है। अप्रार्थी उक्त कृषि भूमि में सहखातेदार है एक सहखातेदार अन्य सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती है। प्रार्थिगण द्वारा जो तथ्य प्रार्थना पत्र में लिखे है वह मूल वाद में साक्ष्य के बाद साबित किये जायेगें। इस प्रकार जो दस्तावेज अभी सिद्ध नहीं है साबित नहीं है उनके आधार पर प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थिगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराव करते हुए तर्क दिया कि उक्त वाद विषयक आराजी पूर्व में प्रहलाद पुत्र किशनगिरी जाति गुॅसाई निवासी अनघोरा के नाम खातेदारी में अंकित चली आ रही थी जिनकी मृत्यु के बाद प्रतिपक्षी संख्या 1 दीनदयाल का नाम भी सहखातेदार में प्रार्थिगण के साथ अंकित कर दिया गया है जो गैर कानूनी व अनुचित एवं असंवैधानिक शून्य इन्द्राज है। मृतक प्रहलाद पुत्र किशनगिरी ने अपने जीवनकाल में दिनांक 16.11.1998 को रूबरू गवाहन एक लिखित में पारिवारिक बंटवारा निष्पादित कर प्रतिपक्षी सं 1 दीनदयाल को ग्राम आडागेला उर्फ हरिनगर तहसील पिपल्दा जिला कोटा की कृषि भूमि खसरा संख्या 464 रकबा 1.27है0 नहरी प्रथम दी गई थी जिसका उल्लेख हाल इकरारनामा दिनांक 10.05.2022 में रूबरू गवाहन नोटरी पब्लिक में अपना हक अधिकार की कृषि भूमि में चारों भाईयों जिनमें सत्यपाल, प्रेमशंकर, ओमप्रकाश, सतीश को ग्राम अनघोरा की सम्पति पारिवारिक बंटवारा में दी गई थी उक्त सम्पति का उपयोग एवं उपभोग प्रार्थिगण मुताबिक पारिवारिक बंटवारा करते चले आ रहे है इसलिए उक्त कृषि भूमि के तन्हा खातेदार कृषक बन चुके है और प्रतिपक्षी संख्या 1 आडागेला उर्फ हरिनगर की सम्पति में हक व अधिकार कानूनी रूप से बतौर पारिवारिक बंटवारा रहा था, उस कृषि भूमि में प्रार्थिगण ने अपना हक व अधिकार छोड दिया था। इसलिए प्रतिपक्षी संख्या 1 का वाद विषयक कृषि भूमि से नाम विलोपित करवाने के कानूनी अधिकारी प्रार्थिगण हो गये है। यदि दौराने वाद प्रतिपक्षी संख्या 1 अपने मनसुखे में कामयाब हो गया और वाद विषयक कृषि भमि को रहन बैचान खुर्द बुर्द कर दिया तो प्रार्थी को भारी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना सम्भव नहीं होगी। प्रार्थिगण का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित है सुविधा संतुलन का भार एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थिगण के पक्ष में प्रमाणित है। अतः प्रार्थिगण का प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जावे। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2021(1) RRT Page

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

333, 2013(1) DNJ RAJ Page 170, 2021(1) DNJ RAJ Page 609, 2004 RRD Page 756 पेश किए। अप्रार्थी सं 1 के अधिवक्ता ने प्रार्थिगण की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि वाद विषयक कृषि भूमि का 3/16 हिस्सा का सहखातेदार टीनेन्ट अप्रार्थी है एवं काबिज होकर काश्तकारी करता आ रहा है। प्रार्थिगण व अप्रार्थी सहखातेदार टीनेन्ट है। यह भूमि पुश्तैनी है जो अप्रार्थी के बाप दादाओं की है। अप्रार्थी सं 1 के पिता प्रहलाद जी की मृत्यु के बाद फौती इन्तकाल संख्या 298 दिनांक 20.05.2000 को अपने पांचो पुत्रों का नाम तस्दीक हुआ है जो सही है। प्रार्थिगणों द्वारा पारिवारिक सेटलमेंट का हवाला दे रखा है जो झूठा व फर्जी है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किसी भी प्रकार का कोई पारिवारिक समझौता नहीं किया गया है अगर किसी के द्वारा फर्जी व कूटरचित द्वारा बनाया गया हो तो जिसकी कानून में कोई वेल्यू नहीं है। कृषि भूमि 646 रकबा 1.27है0 वाके ग्राम ढीपरी चम्बल तहसील पीपल्दा जो अप्रार्थी सं 1 द्वारा काफी पैसा खर्च करके सही करवाई और उक्त भूमि खाता सरकार थी जिसको स्वयं अप्रार्थी सं 1 द्वारा दावा दायर करके खाता सरकार का नाम विलोपित करवाया और स्वयं खातेदार घोषित करवाया है। प्रार्थना पत्र प्राथमिक दृष्ट्या ही खारिज योग्य है। अप्रार्थी उक्त कृषि भूमि में सहखातेदार है एक सहखातेदार अन्य सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती है। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2013(2) RRT Page 1108, 2020(2) RRT Page 1122, 2009(1) RRT Page 25 पेश किए। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं मनन किया। पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। वाद विषयक कृषिभूमि की संलग्न नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खतौनी संख्या 105 वाके ग्राम अनघोरा तहसील इन्द्रगढ़ के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि वर्तमान में प्रार्थिगण व अप्रार्थी सं 1 की सहखातेदारी में दर्ज है। उभयपक्षों के मध्य यह स्वीकृत तथ्य है कि वाद विषयक भूमि पुश्तैनी कृषि भूमि है तथा उक्त भूमि के पूर्व खातेदार प्रहलाद पुत्र किशनगिरी थे जिनकी मृत्यु उपरान्त फौती इन्तकाल संख्या 298 दिनांक 20.05.2000 से प्रहलाद के पांचों पुत्रों के नाम विरासत नामान्तकरण से दर्ज किए गए है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 खतौनी संख्या 40 खसरा संख्या 464 रकबा 1.27है0 कृषिभूमि वाके ग्राम आडागेला उर्फ हरिनगर तहसील पीलल्दा पूर्व में दीनदयाल पुत्र प्रहलाद के नाम खातेदारी में दर्ज थी किन्तु बैचान किए

उपखण्ड अधिकारी
लाडेरी (बून्दी)

जाने से वर्तमान में गिरिराज माहेश्वरी पुत्र प्रेमशंकर माहेश्वरी के नाम खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थिगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह तथ्य अंकित किए है कि मृतक प्रहलाद पुत्र किशनगिरी ने अपने जीवनकाल में दिनांक 16.11.1998 को रूबरू गवाहन एक लिखित में पारिवारिक बंटवारा निष्पादित कर प्रतिपक्षी सं 1 दीनदयाल को ग्राम आडागेला उर्फ हरिनगर तहसील पिपल्दा जिला कोटा की कृषि भूमि खसरा संख्या 464 रकबा 1.27है0 नहरी प्रथम दी गई थी किन्तु प्रार्थिगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि कृषि भूमि खसरा संख्या 464 पक्षकारों की पुश्तैनी भूमि है। प्रार्थिगण द्वारा जो हस्तलिखित समझौता पत्र प्रस्तुत किया है वह अनरजिस्टर्ड है तथा प्रार्थिगण द्वारा जो तथ्य प्रार्थना पत्र में अंकित किए वे साक्ष्य के मौहताज है जिसको उभयपक्ष की साक्ष्य लेकर ही तय किया जा सकता है। प्राथमिक दृष्ट्या सुविधा का संतुलन प्रार्थिगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं है। वाद विषयक कृषिभूमि पुश्तैनी होने से अप्रार्थी सं 1 दीनदयाल का 3/16 हिस्सा उक्त भूमि में निहित है। पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थिगण द्वारा पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि प्रार्थिगण द्वारा अप्रार्थी सं 1 के नाम उक्त भूमि में खुले फौती इन्तकाल संख्या 298 दिनांक 20.05.2000 को चुनौती दी गई हो। प्रार्थिगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। अप्रार्थी सं 1 वाद विषयक कृषिभूमि का सहखातेदार है जिसके विरूद्ध हमारे मत में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)